

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता की कवायद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिये गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

प्रमुख बंदि

- इस नरिणय के पश्चात् गृह विभाग इसके लयि समति गठति करने के साथ ही समान नागरिक संहति का डरॉफ्ट तैयार करेगा ।
- गौरतलब है कसिरकार ने अपनी पहली कैबनित की बैठक में ही इसके लयि समति बनाने का नरिणय लेते हुए कहा था कसमति में वधि एवं कानून के साथ ही अन्य क्षेत्रों से संबंधति वशिषज्जों को शामिल कयि जाएगा ।
- इसके लयि न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए इसका डरॉफ्ट तैयार करने की ज़मिेदारी सौपी गई थी, जसिमें अब परविरतन करते हुए यह ज़मिेदारी गृह विभाग को सौपा गया है ।
- उल्लेखनीय है कसमान नागरिक संहति संबंधी प्रावधान संवधान के भाग-4 के अंतरगत अनुच्छेद-44 में दयि गया है ।
- वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ समान नागरिक संहति लागू है ।